सं.जे - 11017/41/2011 - महात्मा गाँधी नरेगा (पार्ट)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2012

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण विकास
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गाँधी नरेगा) के अन्तर्गत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए दिनांक 07.06.2012 के दिशानिर्देशों में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

मंत्रालय ने दिनांक 29 अगस्त, 2012 को राज्यों में मनरेगा और निर्मल भारत अभियान के प्रभारी प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ की गई संयुक्त बैठक में प्राप्त जानकारी के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सहमति से मौजूदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन/संयोजन/परिवर्तन किए हैं :

(क) पैरा 5 (क) [पृष्ठ 4]
(ख) पैरा 6.3 (च) [पृष्ठ 6]
(ग) पैरा 7.1 (क) [पृष्ठ 6]
(घ) पैरा 7.1 (ग) [पृष्ठ 7]
(ङ) पैरा 7.3 [पृष्ठ 7]

2. आवश्यक कार्रवाई के लिए **संशोधित दिशानिर्देशों** [पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों और दिनांक 07.06.2012 के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र सं. जे-11017/41/2011 मनरेगा (पार्ट) के जरिए जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों को समाप्त करते हुए] की एक प्रति संलग्न है ।

3. वित्त वर्ष 2012-13 के श्रम बजट में यदि शौचालयों को शामिल न किया गया हो तो यथोचित प्रक्रियाओं का अनुपालन करके आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं ।

4. संदर्भ समझने में मदद करने के लिए संशोधनों/परिवर्तनों/संयोजनों को बड़े अक्षरों में दर्शाया गया है ।

भवदीय,

(डी. के. जैन)
संयुक्त सचिव (महात्मा गाँधी नरेगा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. मंत्री (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव/ सचिव (ग्रामीण विकास) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) के प्रधान निजी सचिव /महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग के सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव ।

स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित
कार्यों को करने के
लिए दिशानिर्देश (संशोधित)

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1
पैरा 1 ख (xv) के अन्तर्गत
अनुदेश

[पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों और दिनांक 07.06.2012 के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र सं. जे-11017/41/2011 मनरेगा (पार्ट) के जरिए जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों को समाप्त करते हुए]

(फाइल सं. जे - 11017/41/2011 महात्मा गांधी नरेगा (पार्ट), दिनांक : 11.09.2012)

महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग
ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

11 सितम्बर, 2012

वि-ाय सूची

क्र.सं.	वि-ाय	पृ-ठ सं0
1.	संदर्भ	3
2.	उद्देश्य	3
3.	शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलाप	3
4.	डिजाइन/विनिर्देशन	3-4
5.	कार्य नि-पादन की वे मदें, जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता	4-5
6.	आयोजना और नि-पादन में महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं का अनुपालन	5-6
7.	व्यय का तरीका	6-7
8.	निगरानी एवं रिपोर्ट	7

संक्षिप्तियों की सूची

एएस/एफएस	प्रशासनिक/वित्तीय मंजूरी
डीपीसी	जिला कार्यक्रम समन्वयक
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
यूनीक आईडी नंबर	विशि-ट पहचान संख्या
आईएचएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
जे.ईएन	कनि-ठ अभियन्ता
महात्मा गाँधी नरेगा	महात्मा गांधी रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पीओ	कार्यक्रम अधिकारी
एसएलडब्ल्यूएम	ठोस एवं तरल अपशि-ट प्रबंधन
एसओआर	दरों की अनुसूची
टीए	तकनीकी सहायक
टीएस	तकनीकी मंजूरी
टीएससी	संपूर्ण स्वच्छता अभियान
एनबीए	निर्मल भारत अभियान

नोट : स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिशानिर्देशों में अंतिम संशोधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 07.06.2012 के पत्र सं. जे - 11017/41/2011 महात्मा गांधी नरेगा (पार्ट) के द्वारा किया गया था । इस संशोधित परिपत्र में मौजूद दिशानिर्देशों के निम्नलिखित पैराग्राफ [पृ-ठ सं.] में संशोधन/संयोजन/परिवर्तन किए गए हैं :

(क) पैरा 5 (क) [पृ-ठ 4]

(ख) पैरा 6.3 (च) [पृ-ठ 6]

(ग) पैरा 7.1 (क) [पृ-ठ 6]

(घ) पैरा 7.1 (ग) [पृ-ठ 7]

(ङ) पैरा 7.3 [पृ-ठ 7]

<u>दिनांकः 11 सितम्बर, 2012</u>

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 1ख (XV) के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों की आयोजना, नि-पादन और निगरानी के लिए दिशानिर्देश, अनुदेश

1. सन्दर्भ :

1.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या सां.आ.2265(स्था.) एवं सां.आ. 2266 (स्था.) के जरिए स्वच्छता-सुविधाओं की उपलब्धता को शामिल करने के लिए मनरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 1(IX) के अंतर्गत कार्यों के दायरे का विस्तार किया था और इन कार्यों के लिए प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए थे । इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और इन्हें अंतिम बार 07.06.2012 को संशोधित किया गया था । किए गए अनुरोधों और दिनांक 29 अगस्त, 2012 को राज्यों में मनरेगा और निर्मल भारत अभियान के प्रभारी प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ की गई संयुक्त बैठक में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 07.06.2012 के दिशानिर्देशों में किए गए कुछ प्रावधानों में आगे और संशोधन किया जाए ।

1.2 पहले जारी किए गए और अंतिम बार 07.06.2012 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के स्थान पर, आगे दर्शाए गए संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे ।

2. उद्देश्य :

स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने को शामिल करने के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा इसके द्वारा ग्रामीण आजीविका के आधार को सुदृढ़ करना ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्राम स्तर पर अवसंरचना सुविधा में सुधार लाना ।

(ग) महिलाओं को निजी और शालीन शौच सुविधाएं प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति बढ़ाना ।

3. इन दिशानिर्देशों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत शुरू की जा सकने वाली गतिविधियाँ :

(क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित "निर्मल भारत अभियान" के अनुदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण । तथापि, आईएचएचएल के लिए मनरेगा से दी जाने वाली सहायता नीचे पैरा 7 में दिए गए प्रावधानों तक ही सीमित होगी ।

(ख) संस्थागत परियोजनाओं के रूप में आंगनवाड़ी शौचालय इकाई तथा विद्यालय शौचालय इकाई का निर्माण ।

(ग) प्रस्तावित अथवा पूर्ण निर्मल ग्रामों में ठोस और तरल अपशि-ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) कार्य ।

4. डिजाइन और विशे-ताएँ :

(क) डिजाइनों/विनिर्देशनों के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा । भू-जलवायु स्थितियों और निर्माण सामग्री के आधार पर स्थानीय डिजाइन भिन्नताओं में भी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा ।

(ख) यदि कोई लाभार्थी बेहतर डिजाइन/अधिक बड़े आकार के आईएचएचएल का निर्माण कराने का इच्छुक है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा । तथापि, मनरेगा से किया जाने वाला भुगतान इन दिशानिर्देशों के पैरा 7 में दिए गए प्रावधानों तक सीमित होगा ।

5. कार्य नि-पादन की वे मदें जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता :

(क) अकुशल कार्य के लिए केवल जॉब कार्ड धारक ही नियोजित किए जाएंगे । आईएचएचएल के लिए, यह आवश्यक है कि लाभार्थी भी अपने आईएचएचएल के निर्माण में कार्य करे । यदि लाभार्थी के पास जॉब कार्ड नहीं है तो वह इसके लिए आवेदन करे।

तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला प्रमुख परिवारों के मामले में इस शर्त को शिथिल बनाया जाएगा, (क) यदि परिवार में कोई अन्य वयस्क सदस्य (दोनों श्रेणियों के लिए) न हो और (ख) महिला प्रमुख परिवारों के मामले में, परिवार के मुखिया की उम्र 60 व-र् से अधिक हो।

(ख) मस्टर रोलों का रखरखाव कार्यस्थल पर किया जाएगा, जिसकी प्रतियाँ ग्राम पंचायत में रखी जाएंगी । सभी डाटा पब्लिक डोमेन में भी होंगे तथा उनकी प्रवि-टि www.nrega.nic.in *पर की जाएगी ।*

(ग) मजदूरी का भुगतान केवल बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से ही किया जाएगा, जब तक कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छूट न दी जाए ।

(घ) शौचालय इकाइयों के निर्माण के लिए किसी भी ठेकेदार और मशीन को काम पर नहीं लगाया जाएगा ।

(ङ) सृजित रोजगार का रिकार्ड अलग से रखा जाएगा ।

(च) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मामले में वैयक्तिक पारिवारिक लाभार्थी निजी भूमि/वासभूमि पर निर्माण कार्य के लिए मनरेगा के अंतर्गत पात्र परिवार होगा ।

(छ) जिला जल और स्वच्छता मिशन संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए अनुमोदित एनबीए/संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) योजना के बारे में ग्राम पंचायतों को सूचित करेगा । योजना में ग्राम पंचायत के लिए अनुमोदित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की कुल संख्या शामिल होगी । ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्दि-ट संख्या के भीतर वैयक्तिक लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देंगी और इसको मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमोदित सूची के भाग के रूप में भी शामिल करेंगी ।

(ज) पैरा 3(क) और 3(ख) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण मनरेगा के अधीन केवल तभी शुरू किया जाएगा, जब कि इनका निर्माण संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)/एनबीए के अंतर्गत पहले नहीं किया गया है ।

(झ) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए समग्र आईएचएचएल इकाई को मनरेगा परियोजना के रूप में माना जाएगा :

(क) कार्य के लिए विशि-ट पहचान (यूनीक आई.डी.) देना;
(ख) निर्माण कार्य और सम्पत्ति रजिस्टर में प्रवि-टि;
(ग) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा;
(घ) सतर्कता और निगरानी समिति द्वारा मूल्यांकन ।

(ञ) प्रत्येक ग्राम पंचायत सभी आईएचएचएल, विद्यालय शौचालय एवं आंगनवाडी शौचालय की एक संपूर्ण सूची रखेगी, चाहे शौचालयों का निर्माण कार्य मनरेगा में शामिल कार्यों के रूप में अथवा अन्य द्वारा पूरा किया गया हो । संपत्ति रजिस्टर में एनबीए/टीएससी से प्राप्त सहायता/प्रोत्साहन के उपयोग, राज्य प्रोत्साहन, लाभार्थी के अपने अंशदान तथा मनरेगा से प्राप्त राशि के व्यय का ब्यौरा अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए ।

6. *आयोजना और नि-पादन में महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं की सुनिश्चितता :*

6.1 *आयोजना :*

(क) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण करने के इच्छुक एक ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों की एक संयुक्त सूची तैयार की जाए । इस सूची को अनुमोदन और परियोजनाओं की सूची में शामिल करने के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सभी वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के लिए संयुक्त एएस/एफएस जारी किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक संस्थागत परियोजनाओं तथा एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के लिए स्वीकृतियां अलग-अलग प्रदान की जाएंगी ।

6.2 *अनुमानित लागत :*

(क) निर्माण कार्यों के लिए एएस/एफएस देने के बाद पंचायत/संबंधित विभागों के सम्बद्ध तकनीकी सहायक/कनि-ठ अभियंता स्वच्छता सुविधाओं के लिए नक्शा/डिजाइन/विनिर्देशन तथा क्षेत्र विशे-ा में मनरेगा कार्यों के लिए उपलब्ध एसओआर के अनुसार कार्यों की अनुमानित लागत तैयार करेंगे ।

(ख) आईएचएचएल की अनुमानित लागत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की टाइप डिजाइन पर आधारित होंगी और संयुक्त प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति (एएस एण्ड एफएस) के अनुसार संयुक्त तकनीकी स्वीकृति (टीएस)जारी की जाएगी ।

(ग) मनरेगा कार्यों के लिए प्रत्यायोजित मानदण्डों/शक्तियों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी ।

6.3 *कार्य नि-पादन :*

(क) संबंधित ग्राम पंचायत कार्यान्वयन एजेंसी होंगी ।

(ख) ग्राम पंचायत से अनुरोध प्राप्त होने पर, पीओ मस्टर रोल जारी करेगा ।

(ग) प्रत्येक आईएचएचएल, विद्यालय शौचालय इकाई, आंगनवाड़ी शौचालय तथा एसएलडब्ल्यूएम परियोजना को स्वतंत्र कार्य माना जाएगा और तदनुसार मस्टर रोल जारी होंगे ।

(घ) इन मस्टर रोलों के फार्मेट (रूप रेखा) में संशोधन ऐसा किया जाए, ताकि इस कार्य का प्रबंधन कुशलता से किया जा सके । तथापि, मनरेगा की अनुसूचियों में यथानिर्धारित न्यूनतम विशे-ताओं को शामिल किया जाना आवश्यक होगा ।

(ङ) उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावित संस्थागत शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त एक समय में एक ग्राम पंचायत में किये जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक 15-25 पारिवारिक शौचालयों (वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हुए) के लिए एक मेट की नियुक्ति की जाए ।

i. *उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत/गांव/बस्ती में सभी वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों/संस्थागत परियोजनाओं के लिए मस्टर रोल का रखरखाव करना।*

ii. *कुशल और अकुशल मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना।*

iii. *यह सुनिश्चित करना कि निर्माण कार्य कम-से-कम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विनिर्दि-ट डिजाइन के अनुरूप हो और इस आशय को प्रमाणित करेगा/करेगी।*

iv. *उसे सौंपे गए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण कार्य संपन्न होने पर मेट उपस्थिति और किए गए कार्य की मात्रा के संबंध में मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करेगा/करेगी और अगली कार्रवाई के लिए कनि-ठ अभियंता/तकनीकी सहायक को सौंप देगा/देगी।*

v. *तत्पश्चात तकनीकी सहायक/कनि-ठ अभियंता ऐसी सभी इकाइयों के संबंध में एमबी दर्ज करेगा/करेगी।*

च) आईएचएचएल का कार्य व्यय मद शी-र्ा के तहत् नीचे पैरा 7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाएगा। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों को छोड़कर अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का कार्य मौजूदा एसओआर के अनुसार संपन्न किए जाएंगे।

छ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों को छोड़कर अन्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए मापन का कार्य साप्ताहिक आधार पर संबंधित तकनीकी सहायक/कनि-ठ अभियंता महात्मा गांधी नरेगा के मानकों के अनुसार करेंगे। मापन की प्रवि-टियाँ कार्य के आकलन के साथ मापन पुस्तिका एवं मस्टर रोल में दर्ज की जाएंगी। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मामले में, शौचालय तैयार हो जाने पर कार्य का मापन किया जाएगा।

ज) एनबीए/संपूर्ण स्वच्छता अभियान दल की मदद से ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय और स्कूल शौचालय के निर्माण में सभी कार्यकलापों और सामग्री की आपूर्ति के आयोजन और नि-पादन इस प्रकार किए जाएं ताकि कार्य के संपादन एवं नि-पादन में निरंतरता बनी रहे।

7. व्यय का तरीका :

7.1 स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों पर व्यय की पूर्ति महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रिया के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से की जाएगी :

*क) राज्य मनरेगा से प्रति आईएचएचएल **4500** रु0 तक का उपयोग कर सकता है। इससे अकुशल श्रमिक के मजदूरी घटक को पूरा करने को तरजीह दी जानी चाहिए। इस घटक के अंतर्गत संभावित अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराने के बाद राज्य शे-ा हिस्से का उपयोग कुशल/ अर्द्धकुशल श्रमिक मेटों के पारिश्रमिक और जरूरत के हिसाब से सामग्री के लिए कर सकते हैं। जब कभी भी मनरेगा घटक के अंतर्गत सामग्री खरीदी जाती है तो ग्राम पंचायत प्रापण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करके ऐसा करेगी।*

ख) कुशल, अर्द्धकुशल मजदूर और मेट उपलब्ध कराने की लागत महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान के अनुसार सामग्री घटक के तहत दर्ज की जाएगी और तद्नुसार इस लागत को निर्माणाधीन वैयक्तिक शौचालयों में आनुपातिक आधार पर बाँटा जाएगा।

*ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी ग्राम पंचायत में आईएचएचएल सहित सभी कार्यों (कुशल, अर्द्धकुशल श्रमिक एवं मेटों की मजदूरी सहित) की कुल सामग्री लागत एक वित्त व-र्ा में **40** से अधिक न हो।*

7.2 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए किए जाने वाले शे-ा आवश्यक कार्यकलापों का वित्तपो-ाण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन/राज्य सरकार या लाभार्थी के अपने अंशदान का उपयोग करते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम से किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ जिला जल स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) यथानिर्धारित कार्य करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य, दोनों के अंशदान रिलीज करेगा, ताकि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के

पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य, दोनों के अंशदान रिलीज करेगा, ताकि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए निर्धारित लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

7.3 तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्यों का मापन, निर्धारित अनुमान/टास्क के आधार पर कार्य का आकलन किए जाने एवं मस्टर रोल एवं मापन पुस्तिका में विधिवत दर्ज किए जाने के बाद ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले अकुशल एवं कुशल मजदूरों को तथा मनरेगा के अंतर्गत खरीदी गई सामग्री का भुगतान किया जाएगा।

8. निगरानी और रिपोर्ट :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और संबंधित दिशानिर्देशों में यथोल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला रही एजेंसी की होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण कार्य की सामाजिक लेखा परीक्षा महात्मा गांधी नरेगा और संपूर्ण स्वच्छता अभियान के विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के आईएमआईएस में उपयुक्त फार्मेट विकसित करके निर्मित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों और संपूर्ण स्वच्छता अभियान एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करते हुए तालमेल के जरिए किए गए खर्च की रिपोर्ट करने के लिए उपयुक्त निगरानी व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में दो अलग-अलग रिपोर्टें तैयार न हों। मासिक आधार पर ग्राम पंचायत-वार आंकड़ों का संकलन कर जिला कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से रिपोर्टें भेजी जाएंगी।

ये दिशानिर्देश पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सहमति से जारी किए गए हैं।

(डी.के. जैन)
संयुक्त सचिव (मनरेगा)